16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- R०१७

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3662

बृजकिशोर पुत्र रामभरोसे लाल,
निवासी- ग्राम कोषाण, तेहसील-अटेर,
जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश। ----- प्रार्थी

विरुध्द

प्रेम कुमार तिवारी पुत्र
निवासी ग्राम कोषाण, तेहसील अटेर,
जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश। ----- प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा १५२ सी०पी०सी० सहपठित धारा ३२ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ बावत् अपील प्रकरण के क्रमांक १८३९-तीन।०९ में पारित अंतिम आदेश दिनांक ०६-०६-२०१६ में लिपकीय मूल सुधार हेतु।

श्रीमान् जी,

लिपकीय मूल सुधार हेतु आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, उपरोक्त अपील प्रकरण मे अंतिम आदेश दिनांक ०६-०६-१६ को पारित किया गया है।

२- यह कि, अंतिम आदेश के पृष्ठ क्रमांक २ लगायत ४ में प्रकरण क्रमांक १८३९-तीन।०९ अपील के स्थान पर १८३८-दो।०९ लिपकीय एवं टंकण मूल से टाईप हो गया है, जिसे न्याय हित मे कुछ सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अस्तु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्याय हित में उपरोक्तानुसार अपील प्रकरण मे पारित अंतिम आदेश दिनांक ०६-०६-१६ मे लिपकीय मूल सुधार बावत् आदेश प्रदान किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक:- ४-१०-२०१७

प्रार्थी,
बृजकिशोर -------- प्रार्थी
द्वारा अभिभाषक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध / भिण्ड / भूरा / 2017 / 3662

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 भूल सुधार बावत प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण कमांक अपील 1839–तीन / 06 में पारित आदेश दिनांक 6.6.16 में लिपिकीय भूल से प्रकरण कमांक अपील 1838–तीन / 06 टाइप हो गया है। अंतिम आदेश के पृष्ठ 2 लगायत 4 में प्रकरण कमांक अपील 1838–तीन / 06 के स्थान पर प्रकरण कमांक अपील 1839–तीन / 06 किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा अंतिम आदेश के पृष्ठ 2 लगायत 4 में प्रकरण कमांक अपील 1838–तीन / 06 के स्थान पर प्रकरण कमांक अपील 1839–तीन / 06 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	